प्रपत्र–2

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 के अंतर्गत राशनकार्ड में सदस्य जोड़ने हेतु आवेदन प्ररूप

प्रति,

आयुक्त / मुख्य नगरपालिका अधिकारी / सचिव, पंचायत

जिला ....
विकासखण्ड / नगरीय निकाय ....
ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय का नाम ....
ग्राम / वार्ड का नाम ....
उचित मूल्य दुकान का नाम ....
आवेदक का नाम ....
पिता / पति का नाम ....
राशनकार्ड के मुखिया का नाम जिसमें सदस्य जोड़ना है ....
राशनकार्ड का प्रकार ....
राशनकार्ड कमांक ....

राशनकार्ड में सदस्य जोड़ने का विवरण

क.	सदस्य का नाम	लिंग	मुखिया से संबंध	आयु	नवीनतम पासपोर्ट फोटो
1					
2					
3					

आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का विवरण (निम्न में से कोई एक विवरण संलग्न करें)

सदस्य का आधार कार्ड कमांक
सदस्य का ईपिक कार्ड कमांक
जन्म प्रमाण पत्र कमांक

घोषणा पत्र

मै यह घोषणा करती / करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन सह घोषणा पत्र में जो विवरण दिया गया है उनमें से किसी भी सदस्य के नाम से न तो पृथक से राशनकार्ड है और न ही उनमें से किसी का नाम छत्तीसगढ़ राज्य के किसी अन्य राशनकार्ड में दर्ज है । आवेदन में मेरे द्वारा दर्ज जानकारी की पुष्टि हेतु मेरे पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध है, जिसकी मांग किये जाने पर मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा ।

मैं सत्य निष्ठा से घोषणा करती / करता हूँ कि इस घोषणा पत्र पर मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारियाँ पूर्णतः सत्य है तथा यह इकरार करती / करता हूँ कि जांच के दौरान मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो मै आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत् दण्ड का भागी रहूँगी / रहूंगा ।

स्थल ....

हस्ताक्षर (मुखिया)

दिनांक .... नाम ....

(आवेदक निरक्षर होने पर बायें हाथ के अंगूठे का निशान साक्षी के समक्ष लिया जाए तथा साक्षी का हस्ताक्षर, नाम एवं पता सहित दर्ज कराया जाए)

सत्यापन

मेरे द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों का परीक्षण किया गया । सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के सर्वे में परिवार का कमांक ....(छायाप्रति संलग्न) में उल्लेखित सदस्य अनुसार सही पाया गया / सही नहीं पाया गया । आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज सही / अपूर्ण / सही नहीं पाये गये । अतः राशनकार्ड में सदस्य जोड़ने की अनुशंसा की जाती है / आवेदन पत्र अमान्य किया जाता है।

सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम –
पदनाम –
हस्ताक्षर –
दिनांक –